न्यायालय – विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)/अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी : अनीता सिंह)

–: : निर्णय : :–

(आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को उद्घोषित)

रजिस्ट्रेशन नंबर –	**एस.टी./644/2023**
फाईलिंग नंबर –	**एस.टी./34533/2023**
सी.एन.आर. नंबर –	**एम.पी.0901–043689–2023**
रजिस्ट्रेशन दिनांक –	**09.10.2023**

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अपराध क्रमांक 246/2023, धारा 376, 376 (2) (एन), 506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा, जिला इंदौर (म.प्र.)

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य, आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा, जिला इंदौर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जयंत दुबे, अतिरिक्त लोक अभियोजक
अभियुक्त	कमलेश पिता प्रकाशचंद्र बुंदेला, आयु 33 वर्ष, व्यवसाय – ढोल बजाने का कार्य, निवासी – 23/7, नंदा नगर, इंदौर
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री श्रीश दुबे,

अपराध की तिथि	14.09.2022 से 05.04.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	14.04.2023

अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	24.08.2023
आरोप विरचित करने की तिथि	05.12.2023
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	12.02.2024
निर्णय हेतु नियत किये जाने की तिथि	10.08.2026
निर्णय की तिथि	12.08.2026
दण्डादेश पारित करने की तिथि, यदि कोई हो	

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
01	कमलेश पिता प्रकाशचंद्र बुंदेला	16.05.2023	अग्रिम प्रतिभूति आदेश दिनांक 10.05.2023	धारा 376 (2)(एन), 506 भाग—दो भा.दं.सं.	दोषमुक्त अंतर्गत धारा 376 (2)(एन), 506 भाग—दो भा.दं.सं.	दोषमुक्त	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची :—

क— अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
असा—1	[redacted]	पीड़ित अभियोक्त्री/शिकायतकर्ता
असा—2	मनीषा भिलाला	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने एवं मामले की विवेचना करने वाली

		उपनिरीक्षक

ख – प्रतिरक्षा साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
निरंक	निरंक	निरंक

ग – न्यायालयीन साक्षी

कमांक	नाम	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

क– अभियोजन प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1/असा–1	शिकायत आवेदन पत्र
2	प्रदर्श पी–2/असा–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी–3/असा–1	नक्शा मौका
4	प्रदर्श पी–4/असा–1	पीड़ित अभियोक्त्री का दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत लेखबद्ध कथन
5	प्रदर्श पी–5/असा–1	पीडित अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट
6	प्रदर्श पी–6/असा–2	पीड़ित अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण करवाए जाने हेतू प्रस्तुत आवेदन
	प्रदर्श पी–6ए/असा–2	अभियुक्त का गिरफ्तारी पत्रक
7	प्रदर्श पी–7/असा–2	अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण आवेदन/रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी–8/असा–2	मेडिकल प्रदर्शों का ड्राफ्ट

9	प्रदर्श पी–9/असा–2	मेडिकल प्रदर्शों को प्रयोगशाला में जमा करने की रसीद
10	प्रदर्श पी–10/असा–2	क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर का परीक्षण प्रतिवेदन
11	प्रदर्श पी–11/असा–2	रोजनामचा विवरण पृष्ठ क्रमांक 01 लगायत 04
12	प्रदर्श पी–12/असा–2	प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम

ख – प्रतिरक्षा प्रदर्श

क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी–1/असा–2	दप्रसं. की धारा 161 के अंतर्गत साक्षी अशोक के पुलिस कथन
2	प्रदर्श डी–2/असा–2	दप्रसं. की धारा 161 के अंतर्गत पीडित अभियोक्त्री का पुलिस कथन

ग– न्यायालयीन प्रदर्श

क्रमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

घ– आवश्यक वस्तुएं :–

क्रमांक	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
निरंक	निरंक	निरंक

आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा जिला इंदौर के अपराध क्रमांक 246/2023 में प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर (श्रीमती

दिव्या सिंह) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक आर.सी.टी./5586/2023 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 04.10.2023 से उद्भुत सत्र प्रकरण।

01— अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (एन), 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप है कि उसके द्वारा दिनांक 14.09.2022 से दिनांक 05.04.2023 के मध्य की अवधि में, जिला इंदौर में पीड़ित अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध अथवा सम्मति के बिना बार—बार संभोग कर बलात्संग कारित किया तथा उसे संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— मामले की पीड़ित अभियोक्त्री की पहचान को निवारित करने हेतु उसकी पहचान का खुलासा करने वाले तथ्यों की मास्किंग की गई है एवं संपूर्ण निर्णय में पीडित अभियोक्त्री को काल्पनिक नाम **'क'** से संबोधित किया जा रहा है।

03—क अभियोजन मामले के अनुसार 30 वर्षीय अभियोक्त्री 'क' जिला इंदौर में निवास करती है जिसकी अभियुक्त से प्रथम मुलाकात खाटूश्याम कमेटी में हुई थी तभी से वह अभियुक्त को जानती है। जिसके पश्चात् उसकी अभियुक्त से मित्रता हो गई जो कि बाद में प्यार में बदल गयी थी। अभियोक्त्री 'क' के द्वारा अभियुक्त को अपने पूर्व विवाह व उक्त विवाह से एक पुत्र होने तथा वह तलाकशुदा है, उक्त संबंध में जानकारी दे दी थी और यह भी बता दिया था कि उसका पुत्र अपने पिता के साथ निवास करता है। अभियुक्त के .द्वारा अभियोक्त्री 'क' को आश्वासन दिया गया कि उसे अभियोक्त्री 'क' के पूर्व के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है क्यांकि वह उससे प्यार करता है और उससे विवाह करेगा और अभियोक्त्री 'क' को अपनी पत्नी बनायेगा। उक्त आश्वासन के पश्चात् अभियोक्त्री 'क' एवं अभियुक्त दिनांक 14.09.2022 से गणेश नगर में किराये के मकान लेकर साथ—साथ निवास करने लगे, जहां पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री 'क' से विवाह किए बिना ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। अभियोक्त्री 'क' द्वारा अभियुक्त को विवाह के पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने से मना किये जाने पर भी अभियुक्त ने अभियोक्त्री 'क' की बात नहीं मानी और उसके साथ निरन्तर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये। अभियोक्त्री 'क' द्वारा अभियुक्त को उनके रिश्ते के संबंध में अपने परिजनों को अवगत कराकर विवाह करने हेतू कहे जाने पर अभियुक्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर विवाह की बात

को टालता रहता था।

03—ख अभियोक्त्री 'क' के द्वारा दिनांक 05.04.2023 को रात्रि 08:00 बजे के लगभग अभियुक्त से पुनः विवाह करने हेतू कहा गया तो अभियुक्त अभियोक्त्री 'क' पर भड़क गया और कहा कि अभियोक्त्री 'क' तलाकशुदा है और अभियोक्त्री 'क' से वह विवाह करके अपना जीवन खराब नहीं करेगा। जिसके पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री 'क' के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये और धमकी दी गई कि अभियोक्त्री 'क' ने यदि बार—बार विवाह करने की बात कही तो वह उसे जान से मार देगा और अभियोक्त्री 'क' से जो बन पडे वह कर ले। जिसके उपरांत अभियुक्त वहां से चला गया। जिसके उपरांत अभियोक्त्री 'क' के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 13.04.2023 को आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा इंदौर में प्रदर्श पी—1 का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कमांक 246/2023 अंतर्गत धारा 376, 376 (2) (एन) भा.दं.सं. का पंजीबद्ध कर मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लेखबद्ध की गई और मामले को विवेचना में लिया गया।

03—ग विवेचना के दौरान दिनांक 14.04.2023 को अभियोक्त्री 'क' एवं साक्षीगण के दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री 'क' का मेडिकल परीक्षण सी.एम.ओ. के माध्यम से एम.वाय. अस्पताल इंदौर में कराये जाने के सम्बन्ध में ओ.पी.डी. स्लिप प्राप्त कर, प्रदर्श पी—6 का आवेदन पत्र तैयार किया गया। अभियोक्त्री 'क' की विस्तृत मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—5 प्राप्त की गयी। अभियोक्त्री 'क' के मेडिकल प्रदर्शों को जप्त किया गया। दिनांक 15.04.2023 को अभियोक्त्री 'क' की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 निर्मित किया गया। दिनांक 18.04.2023 को अभियोक्त्री 'क' के दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत कथन प्रदर्श पी—4 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में लेखबद्ध कराये गये तथा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रदर्श पी—11 का रोजनामचा विवरण लेखबद्ध किया गया। दिनांक 16.05.2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया गया। अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण सी.एम.ओ. के माध्यम से एम.वाय. अस्पताल इंदौर में कराये जाने के सम्बन्ध में ओ.पी.डी. स्लिप प्राप्त कर प्रदर्श पी—7 का आवेदन पत्र तैयार किया गया, जिसके पृष्ठ भाग पर अभियुक्त की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गयी। अभियुक्त के मेडिकल प्रदर्शों को जप्त किया गया।

03—घ　　दिनांक 30.05.2023 को अभियोक्त्री 'क' एवं अभियुक्त के मेडिकल प्रदर्शों का परीक्षण क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में कराये जाने के सम्बन्ध में प्रदर्श पी—8 का ड्राफ्ट तैयार किया गया। दिनांक 09.06.2023 को अभियोक्त्री 'क' एवं अभियुक्त के मेडिकल प्रदर्शों के सीलबंद पैकेटों को ड्राफ्ट सहित क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में जमा कर प्रदर्श पी—9 की रसीद प्राप्त की गयी तथा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में रोजनामचा विवरण लेखबद्ध किया गया। दिनांक 18.06.2023 को साक्षी अशोक के दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किये गये। दिनांक 25.06.2023 को आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा इंदौर द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में पीड़ित अभियोक्त्री को नोटिस प्रेषित कर सूचना से अवगत कराया गया। दिनांक 31.10.2023 को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर से परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें अभियोक्त्री 'क' के प्रदर्शों ए, बी, डी, ई, एफ पर मानव वीर्य एवं शुक्राणु नहीं पाया जाना प्रतिवेदित किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रकरण में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

03—ड.　　अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र क्रमांक 290/2023, अंतर्गत धारा 376, 376(2)(एन), 506 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 25.06.2023 को तैयार कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर (श्रीमती दिव्या सिंह) के न्यायालय में दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया। जहां पंजीबद्ध हुए दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 5586/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के द्वारा यह मामला सेशन न्यायालय इंदौर को कमिट किया गया।

04—　　अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2)(एन), 506 भाग—दो के अंतर्गत विरचित किए गए आरोपों के संबंध में विचारण का दावा किए जाने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

05—　　अभियोजन की ओर से मामले के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य में अपने विरुद्ध आये तथ्यों एवं परिस्थितियों में से अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' को जानने एवं पहचानने, अभियोक्त्री 'क' से खाटूश्याम भंजन संध्या में प्रथम बार मुलाकात होने, वर्ष 2022 के अगस्त—सितम्बर माह में गणेश नगर, इंदौर में एक साथ किराये के मकान में निवास करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए शेष तथ्यों में से कुछ से इंकार एंव कुछ के प्रति अनभिज्ञता प्रकट करते हुए, दं.प्र.सं.

की धारा 313/बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत अपनी परीक्षा में स्वयं को निर्दोष होने एवं मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त कराया जाना कहा है। अभियुक्त का यह भी बचाव है कि अभियोक्त्री 'क' के द्वारा उसे अपने पूर्व विवाह, उक्त विवाह से संतान होने एवं उक्त विवाह का विच्छेद हो जाने के संदर्भ में किसी भी तथ्य से उसे अवगत नहीं कराया था। अभियुक्त का यह भी बचाव है कि अभियोक्त्री 'क' से आपसी सहमति से उनके मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे।

06— प्रकरण में विचारण हेतु निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं :—

(01) क्या अभियुक्त के द्वारा दिनांक 14.09.2022 से 05.04.2023 के मध्य की अवधि में, जिला इंदौर में अभियोक्त्री 'क' से शारीरिक संबंध स्थापित किये गये?

(02) क्या अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' से स्थापित शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध अथवा सम्मति के बिना स्थापित किये गए?

(03) क्या अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया ?

(04) क्या कोई अपराध सिद्ध हुआ ? यदि हां, तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होना चाहिए ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 03 के संबंध में :—

07— उपरोक्त सभी अवधार्य प्रश्नों से संबंधित साक्ष्य एक—दूसरे से अंतर्लिप्त होने एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उनका

निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08— अभियोक्त्री 'क' (असा—1) के अनुसार वह इंदौर में रहते हुए अस्पताल में नौकरी करती है। अभियुक्त नंदानगर गली नंबर 8 में निवास करता है है और ढोलक बजाने का कार्य करता है जिसे वह जानती है। अभियोक्त्री 'क' की अभियुक्त से खाटू श्याम भजन संध्या के समय मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी। अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' से कहा गया कि वह उससे प्यार करता है और विवाह करना चाहता है। अभियोक्त्री 'क' के द्वारा अभियुक्त को यह बता दिया गया था कि उसका तलाक हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है जो उसके साथ रहता है। जिसके पश्चात् भी अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' से विवाह करने का कहते हुए यह कहा गया था कि उसे अभियोक्त्री 'क' के तलाक से उसे कोई मतलब नहीं है और अभियोक्त्री 'क' अपने बेटे को अपने पूर्व पति को दे दे। वर्ष 2022 के अगस्त—सितम्बर माह में अभियुक्त एवं अभियोक्त्री 'क' दोनों एक साथ गणेश नगर इंदौर में किराये के कमरे में रहने लगे थे। तब अभियोक्त्री 'क' के द्वारा अभियुक्त को कहा गया था कि अब विवाह कर लेते है ऐसे साथ में रहना ठीक नहीं है किंतु अभियुक्त के द्वारा विवाह की बात को टाल दिया जाता था और कहा जाता था कि वह अपने परिनजों से बात करेगा। अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' के साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किये गए। परदेशीपुरा में साथ रहने के दौरान भी अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' के साथ निंरतर शारीरिक संबंध स्थापित किए गए किंतु अभियोक्त्री 'क' से विवाह नहीं किया। अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री 'क' को हमेशा विवाह के लिए टाल दिया जाता था और यह आश्वासन दिया जाता था कि वह उससे विवाह कर लेगा। अप्रैल 2023 में अभियोक्त्री 'क' के द्वारा अभियुक्त से विवाह किये जाने हेतू अभियुक्त को अपने घर पर बात करने हेतू कहा गया तो अभियुक्त ने विवाह करने से इंकार कर दिया और अभियोक्त्री 'क' के साथ झगड़ा कर उसे गंदी—गंदी गालियां दी और उसके चरित्र को लेकर अपशब्द कहे तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर गाली—गलौच कर अभियोक्त्री 'क' को छोड़कर चला गया। अभियुक्त के इस मामले में जमानत पर छूटने के पश्चात् भी अभियोक्त्री 'क' को मारने के लिए दो—तीन लोगों को भेजा था जिस संबंध में अभियोक्त्री 'क' ने आरक्षी केन्द्र हीरानगर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

09— अभियोक्त्री 'क' के मेडिकल परीक्षण के उपरांत चिकित्सक द्वारा सुपुर्द किये गए उसके प्रदर्शों के रासायनिक परीक्षण हेतू क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, राउ इंदौर भेजे जाने पर वहां से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन

(प्रपी.10) में अभियोक्त्री 'क' के प्रदर्शों पर वीर्य के धब्बें एवं मानव शुक्राणु नहीं पाया जाना प्रतिवेदित हुआ। अतः वैज्ञानिक साक्ष्य से अभियोजन मामले का समर्थन नहीं होता है। अब अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है। उक्त हेतू अभियोक्त्री 'क' के मुख्यपरीक्षण में आये तथ्यों की विश्वसनीयता को उसके प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों के संदर्भ में परखा जा रहा है।

10— अभियोक्त्री 'क' के प्रतिपरीक्षण की कंडिका–4 लगायत कंडिका–9 में यह तथ्य आए है कि अभियुक्त से उसकी स्वेच्छा पूर्वक दोस्ती एवं प्रेम–प्रंसग था। अभियुक्त के द्वारा जान पहचान होने के पश्चात् उससे दोस्ती करने एवं प्रेम–प्रसंग हेतू अभियोक्त्री 'क' पर कोई दबाव नहीं बनाया था। उसकी अभियुक्त से आपसी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। उसके द्वारा अभियुक्त को अपने बारे में सारी बातें बता दी गई थी जिसके पश्चात् ही उनके प्रेम संबंध बने थे। प्रथम बार के शारीरिक संबंध के पश्चात् उनके मध्य रिलेशनशीप यथावत रहे और वे दोनों साथ में ही रहे। दिनांक 14.09.2022 से दिनांक 05.04.2023 के मध्य की अवधि में किराये के कमरे में वह और अभियुक्त साथ में निवास करते रहे और उस दौरान अभियुक्त ने उसके प्रति कोई जबरदस्ती नहीं की और न ही उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाये। उक्त 07 महिनों में वह अभियुक्त के साथ अनेको बार बाहर घूमने–फिरने गई और अभियुक्त के द्वारा लिये गय किराये के कमरे का किराया भी उन दोनों के द्वारा चुकाया गया। उनके मध्य इन 07 माह में अनेकों बार शारीरिक संबंध स्थापित हुए जिसकी शिकायत उसके द्वारा पुलिस को नहीं की गई। किराये का कमरा लिये जाते समय कोई भी किरायेदारी लेख उसके द्वारा नहीं बनवाया गया था।

11— अभियोक्त्री 'क' द्वारा यह तथ्य भी उल्लेखित किये गये कि अभियुक्त द्वारा उससे झगड़ा करने, अपशब्द कहने व मारपीट करने व उसकी अभियुक्त से शादी नहीं हो पाई इस कारण वह नाराज हो गई और उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध करा दिया गया।

12— अभिलेख पर आये उपरोक्त साक्ष्य जिसमें अभियोक्त्री 'क' द्वारा अभियुक्त से प्रेम–प्रसंग होना और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित होने के बताये गये तथ्य के आलोक में यह तथ्य अप्रमाणित रहता है कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 14.09.2022 से दिनांक 05.04.2023 के मध्य की

अवधि में अभियोक्त्री 'क' की इच्छा के विरूद्ध अथवा सम्मति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित किए गए।

13— अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री 'क' को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट साक्ष्य के अभाव में यह भी अप्रमाणित रहता है कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री 'क' को जान से मारने की धमकी दी गई।

14— अभिलेख पर आये उपरोक्त साक्ष्य के आलोक में यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त एवं अभियोक्त्री 'क' के मध्य आपसी सम्मति से शारीरिक संबंध स्थापित हुए है। परिणामतः अवधार्य प्रश्न क्रमांक—1 प्रमाणित पाया जाता है किंतु अवधार्य प्रश्न क्रमांक—2 एवं 3 अप्रमाणित पाया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 के संबंध में</u> :—

15— अवधार्य प्रश्न क्रमांक—01 के प्रमाणित होते हुए भी अवधार्य प्रश्न क्रमांक 02 एवं 03 के अप्रमाणित रहने से अभियुक्त कमलेश बुंदेला को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(एन), 506 भाग—दो के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

16— अभियुक्त जमानत पर स्वतंत्र है। अभियुक्त को बी.एन.एस.एस. की धारा 481 के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात हेतु जमानत प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

17— अभियुक्त का बी.एन.एस.एस. की धारा 468 के अंतर्गत प्रमाण—पत्र पृथक से तैयार किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

18— प्रकरण में अभियोक्त्री से जप्तशुदा संपत्ति अंडरगारमेंट्स, प्यूबिक हेयर, नेल्स क्लीपिंग, वेजाइनल स्लाइड, वुलवल स्लाइड, एनल स्वाब एवं सील नमूना एवं अभियुक्त से जप्तशुदा संपत्ति सीमन स्लाइड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर एवं सील नमूना मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जाने का आदेश दिया जाता है। यदि अपील हो तो अपील न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे।

19— निर्णय की एक प्रति धारा 365 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट इंदौर को प्रेषित की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में
हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
उद्घोषित किया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

अनीता सिंह
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

अनीता सिंह
विशेष न्यायाधीश (ओ.ए.डब्ल्यू.)
अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)

ANITA SINGH

Digitally signed by ANITA SINGH
Date: 2026.08.12 18:38:14 +0530